न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–25/2020

जीसीएमएस नं. :–2020/00075

1. पवित्रसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 62 जीबी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हरजिन्द्रसिंह पुत्र पवित्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 62 जीबी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– **प्रार्थीगण**

बनाम्

1. इन्द्रजीतकौर उर्फ गुरप्रीतकौर पुत्री अवतारसिंह पत्नी जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. बलविन्द्रकौर उर्फ कुलविन्द्रकौर पुत्री अवतारसिंह पत्नी जसवीरसिंह जाति जटसिख निवासी 67 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. गगनदीपसिंह पुत्र जसवीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 67 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. अमनदीपसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––––**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित–

1. श्री अनिल कुमार गक्खड़ एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री प्रवीण सिंह राठौड़ एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 व 2 की ओर से
3. अप्रार्थी सं.–3 व 4 का जबाव बंद

– :: निर्णय :: –

दिनांकः– 27/5/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 62 जीबी (बी) का मुरब्बा नं.–8 पत्थर नं.–253/448 का किला नम्बर 2/2 का 0.215, किला नम्बर 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 3, 8, 13, 17 प्रत्येक सालम, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228 हैक्टर कुल 1.936 हैक्टर नहरी एवं मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–255/448 के किला नम्बर 3 ता 8 प्रत्येक सालम, 13/2 के 0.127, 14 ता 17 प्रत्येक सालम, 24/1 का 0.228, 25/1 का 0.228 हैक्टर कुल [illegible] हैक्टर इस प्रकार कुल 5.049 हैक्टर नहरी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेवारी दर्ज है। जमाबन्दी की चित्र प्रति सलग्नं प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेवारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थी सं.–1 का 673/1683, प्रार्थी सं.–का 1010/5049 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं.–1 का 1010/5049 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं.–2 का 1010/5049 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रार्थी सं.

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:48 IST
Reason: SelfAttested

–1 पवित्रसिंह के पास वाके चक 62 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –8 पत्थर सं.–253/448 का किला नम्बर 2/2 का 0.215, किला नम्बर 3, 8, 13, 17, 18 प्रत्येक सालम, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228 हैक्टर 8 बीधा, प्रार्थी सं.–2 के पास मुरब्बा नम्बर 6 पत्थर सं.–255/448 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 कुल 4 बीधा कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा शेष भूमि अप्रार्थी सं.–1 व 2 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी सं.–2 का मुरब्बा नम्बर 6 पत्थर सं.–255/448 के किला नम्बर 25 में कमरा बना हुआ है तथा किला नम्बर 25 में सिंचाई हेतू ट्यूबवैल का कुंआ बना हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थी सं.–1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित संयुक्त खाता की कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ठ किलाजात की भूमि का अन्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा अप्रार्थी सं.–1 ता 4 प्रार्थीगण के पारस्पारिक घरेलू बंटवारा में कब्जा काश्त की भूमि वाके चक 62 जीबी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–8 पत्थर सं.–253/448 का किला नम्बर 2/2 का 0.215, किला नम्बर 3, 8, 13, 17, 18 प्रत्येक सालम, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228 हैक्टर 8 बीधा एवं मुरब्बा नम्बर 6 पत्थर सं.–255/448 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 कुल 4 बीधा इस प्रकार कुल 12 बीधा कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उसके उपयोग उपभोग व उसमें बने कमरे व ट्यूबवैल में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत करने व करवाने से बाज व ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी सं.–2 अपने हिस्सा के जो 4 बीघा रकबा पर स्वयं का कब्जा – होना कथन कर रहा है उन 4 बीघा पर प्रार्थी सं.–2 का कब्जा ना होकर तृतीय पक्ष का कब्जा है क्योंकि उक्त 4 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी सं.–2 की भुआ दिशो के नाम से थी। दिशो द्वारा उक्त 4 बीघा भूमि पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को जरिए ईकरारनामा बेचान कर दी तत्पश्चात दिशो ने उक्त 4 बीघा का प्रार्थी सं.–2 के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी तथा दस्तबरदारी के आधार पर प्रार्थी सं.–2 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा जिसके पक्ष में दिशो ने ईकरारनामा किया था, ईकरारनामा की पालना नही होने उस व्यक्ति द्वारा सिविल न्यायालय मे ईकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें माननीय सिविल न्यायाधीश अनूपगढ का स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थी सं.–1 व हम अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 का संयुक्त कब्जा काश्त चल रहा है।

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे [illegible] बिन्दु है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:-

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेवारी दर्ज है प्रार्थीगण ने उक्त पारस्परिक घरेलू बंटवारा की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा बताया गया है। अप्रार्थी सं.–1 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रार्थीगण सं.–2 अपने हिस्सा के जो 4 बीधा रकबा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

स्वयं का कब्जा होना कथन किया है उन 4 बीघा पर प्रार्थीगण सं.–2 का कब्जा ना होकर तृतीय पक्ष का कब्जा है। कानून में घरेलू बंटवारेनामे की कोई मान्यता नही है। एवं प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 को कब्जा के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतो एवं कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.25 17:46:48 IST
Reason: SelfAttested